हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

द्वितीय सत्र

शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित:

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **चतुर्थ मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **पंचम् मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **योजना विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **षष्टम् मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति का **सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 104वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वित्त विभाग (आधिक्य)** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 29वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **प्रथम मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 11वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **जनजातीय विकास विभाग** से सम्बन्धित है।

(3) **श्री सुरेश कुमार कश्यप,सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति का **द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन** जोकि मांग संख्या:13 के अन्तर्गत **सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग** की वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति का **द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

3. <u>वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए बजट अनुमान</u>:-

सामान्य चर्चा एवं समापन ।

शिमला-171 004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 15 मार्च, 2018 सचिव ।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)